

तत्काल जारी करने के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से उपभोक्ता पहुंच कार्यक्रम

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 2020: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने अपने क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल के माध्यम से दिनांक 11 सितम्बर, 2020 को ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से उपभोक्ता पहुंच कार्यक्रम आयोजित किया।

2 भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य उपभोक्ता हितों की रक्षा करना और उपभोक्ता जागरूकता पैदा करना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, देश के विभिन्न भागों में उपभोक्ता पहुंच कार्यक्रमों का आयोजन करता है। कोविड-19 महामारी की वर्तमान स्थिति में, ऑनलाइन प्लेटफार्म के माध्यम से इस तरह के कार्यक्रमों का संचालन करने का निर्णय किया गया था, जहां उपभोक्ता अपने घर, दुकान, या कार्यालय में बैठे कर इसमें सम्मिलित हो सकते थे।

3. इस पहुंच कार्यक्रम में उत्तराखण्ड राज्य के दूरसंचार उपभोक्ताओं के अलावा राज्य के विभिन्न गांवों से बड़ी संख्या में कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) प्रभारी, उपभोक्ता समर्थक समूहों (सीएजी) के प्रतिनिधियों, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के प्रतिनिधियों, विभिन्न उपभोक्ता संघों, विभिन्न महाविद्यालयों के छात्र और शिक्षकों, सरकार के अधिकारियों और जनसाधारण ने बड़ी संख्या में भाग लिया।

4. इस कार्यक्रम के दौरान उपभोक्ताओं को दूरसंचार सेवाओं के विभिन्न पहलूओं के संबंध में अर्थात् प्रशुल्क, मूल्यवर्धित सेवाओं (वीएएस), डाटा सेवाओं, अवांछित वाणिज्यिक सम्प्रेषण (यूसीसी), मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी, शिकायत निवारण तंत्र आदि के बारे में जानकारी प्रदान की गई। उपभोक्ताओं को उपभोक्ता सशक्तिकरण के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा विकसित किए गए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण माई-स्पीड ऐप, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण माई-कॉल ऐप, डीएनडी 2.0 ऐप आदि जैसे विभिन्न मोबाइल एप्स के लाभ के बारे में भी जानकारी दी गई और यह भी जानकारी प्रदान की कि उपभोक्ता इन एप्स और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण विश्लेषणात्मक पोर्टल का लाभ कैसे उठा सकते हैं। उपभोक्ताओं को अलग-अलग तरह की धोखाधड़ियों के बारे में भी बताया गया जैसे टॉवर लगाने से जुड़ी धोखाधड़ी, आईएसडी नम्बर से मिस्टड कॉल आदि और यह भी जानकारी प्रदान की कि इन धोखाधड़ियों से कैसे सावधान रहना चाहिए। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने दिनांक 25 जून को उपभोक्ताओं के लाभ के लिए एक चैनल चयन एप का शुभारंभ किया ताकि उपभोक्ता अपने सब्सक्रिप्शन को देख सकें/ चैनल जोड़/ हटा सकें और अपनी पसंद का इष्टतमीकरण कर सकें। इस संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा एक वीडियो भी तैयार किया गया था (जोकि यू-ट्यूब पर भी उपलब्ध है) जिसे उपभोक्ताओं को उनके लाभ के लिए दिखाया गया।

5. इंटरेक्टिव सत्र के दौरान भागीदारों के अनेक प्रश्नों का उत्तर श्री विनोद गुप्ता, सलाहकार, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल द्वारा दिया गया।

6. किसी भी स्पष्टीकरण के मामले में, श्री संजीव बैजल, सलाहकार (सीए एंड आईटी), भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, से दूरभाष नम्बर 011-23210990 अथवा ई-मेल आईडी : advisorit@ trai.gov.in पर भी संपर्क किया जा सकता है।

ह/-
(एस0 के0 गुप्ता)
संचिव, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अस्वीकरण: यह विज्ञप्ति मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित विज्ञप्ति का हिंदी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित यह विज्ञप्ति मान्य होगी।